

pan>

Title: Visually Impaired Persons (Protection of Rights) Bill, 2022

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करने जिससे वे रोजगार, सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा, नागरिक और अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकें, स्वतंत्र नागरिक के रूप में मानवीय गरिमा और स्वाभिमान के साथ जी सकें और उससे संसक्त र उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने व अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide rights to visually impaired persons, enabling them to avail employment, social and financial security, civil and other services, to live with human dignity, self-respect as independent citizens and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल: सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूँ।
